UPGK010044412020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, गोरखपुर।

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–331/2020

राज्य–––––बनाम––––संदीप सिंह।

मु0अ0सं0–267/2019,

धारा–326 भा0दं0सं0

थाना–गोरखनाथ, जिला गोरखपुर।

दिनांक–10.03.2026

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से **जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र का०सं०–3क** प्रस्तुत कर अभियुक्त संदीप सिंह के संदर्भ में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित जमानत आदेश दिनांक 14.07.2020 को निरस्त कर अभियुक्त संदीप सिंह को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिये जाने के आदेश की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना गोरखनाथ में अभियुक्त संदीप सिंह के विरुद्ध मु०अ०सं०–267/2019, धारा 307 भा०दं०सं० व धारा 3/25 आयुध अधि० पंजीकृत किया गया है, जिसमें अभियुक्त की जमानत सत्र न्यायालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 16.09.2019 को स्वीकृत हो गयी। जिसके पश्चात मामले में धारा 326 भा०दं०सं० की बढ़ोतरी करते हुए उसके विरुद्ध धारा 307,326 भा०दं०सं० व 3/25 आयुध अधि० के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जिसपर पुनः अभियुक्त संदीप द्वारा दिनांक 14.07.2020 को आत्मसमर्पण कर अंतर्गत धारा 326 दं०प्र०सं० जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा अभियुक्त संदीप जमानत पर है।

उपरोक्त के आलोक में पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि मामले में बढ़ी हुई धाराओं में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी गयी है। मामला 6 वर्षों से विचारधीन है, जिसपर कोई बल देने वाला भी नहीं है। पत्रावली में साक्ष्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अभियुक्त से संबंधित पत्रावली का विचारण चल रहा है, जिसमें मुल्जिमान जमानत की शर्तों का पालन करते हुए लगातार न्यायालय में उपस्थित हो रहा है। **मामला न्यायालय में लंबित 5 प्राचीनतम वादों में से एक है।**

उपरोक्तानुसार विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र का०सं०–3क महत्वहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र का०सं०–3क निरस्त किया जाता है।

तदनुसार दाण्डिक प्रकीर्ण सं०–331/2020 राज्य बनाम संदीप सिंह निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–10.03.2026

(नन्द कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4, गोरखपुर।

जे०ओ० कोड–यू०पी०–1702

Digitally signed by NAND KUMAR
Date: 2026.03.10 15:16:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court